IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सामाजिक अन्याय की पहचान और उसके कारण : एक विश्लेशणात्मक अध्ययन

सोहन लाल
सह–आचार्य (शोधार्थी)
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर

प्रो.(डॉ.) मैना निर्वाण
आचार्य,
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर

शोध सार :

वर्तमान में सामाजिक अन्याय एक ज्वंलत समस्या है। यह संपोशी समाज की सुनिश्चितता में बाधक तत्व है। समाज के किसी वर्ग वि"ोश को स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व से वंचित रखने पर वह वर्ग सामाजिक अन्याय का f"ाकार बन जाता है। उन्हं मानवाधिकारों से दूर कर दिया जाता है। इन वर्गों को जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति, भाारीरिक स्थिति एवं भौक्षिक प्रस्थिति आदि अनेक कारणों से समाज की मुख्यधारा से विलग कर दिए जाते है। इसका उद्दे"य समाज के कुछ सम्पन्न वर्गों को वि"ोशाधिकार प्रदान कर उनका समाज के समस्त संसाधनों पर अधिकार जमने देना होता है। वंचित, उपेक्षित, हाf"ाये पर स्थित ऐसे समूह संवेदन"ील हो जाते है। वे विपरीत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौक्षिक एवं भाारीरिक द"ााओं की वजह से अपने मानव होने के भाव को ही भूल जाते है। सामान्यतः इनके हितों की अनदेखी की जाती है।

इस भाोध पत्र में सामाजिक अन्याय के कारणों एवं उनकी खोज का अनु"ीलन कर स्पश्ट करने का प्रयास किया गया है कि सामाजिक न्याय वर्तमान समय की पुरजोर मांग है। इसका उद्दे"य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, गरिमा, स्वतंत्रता, संसाधनों तक न्यायसंगत पहुंच सुनिf"चत करना है। इसके लिए केवल संवैधानिक प्रावधान, विधिक संरक्षण के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता, संवैधानिक लोकतंत्र, सहभागिता, नागरिक समाज एवं भाासन प्र"ाासन की इन समूहों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता आव"यक है। सामाजिक न्याय केवल विधिक व्यवस्था का विशय नहीं है अपितु मानवीय चेतना, नैतिक दायित्व एवं समावे"ी समाज की सतत् प्रक्रिया है।

भाब्द कुंजो : वंचित, सामाजिक अन्याय, समावे"ी अवसर, मानवीय चेतना, सामाजिक न्याय।

शोध आलेख

सामाजिक अन्याय एक गंभीर संरचनात्मक समस्या है जो शिक्षा, संसाधनों, अवसरों तथा सामाजिक अधिकारों तक वंचित वर्गों की असमान पहुंच को जन्म देती है और परिणामतः एक समतामूलक एवं सर्वसमावे"ी समाज का निर्माण में अवरोध उत्पन्न करती है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, ''स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व इन तीनों तत्वों का अभाव होने पर समाज स्वयमेव ही सामाजिक अन्याय का f"ाकार हो जाता है। यह समाज के बड़े हिस्से को उनके मूलभूत अधिकारों, अवसरां एवं संसाधनों से विलग कर देता है। उन्हें मानवाधिकारों से दूर कर देता है।''[1] सामाजिक अन्याय जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति, भौक्षिक प्रस्थिति और अन्य अनेक कारणों से हो सकता है। इसका उद्देश्य समाज के कुछ वर्गों को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संसाधनों पर अधिकार जमाने देना होता है। अन्य समूहों को हाf"ाये पर धकेल दिया जाता है। ये समूह भाारीरिक और भावनात्मक क्षति की दृश्टि से संवेदनशील

होते है। ये समूह दूसरे सम्पन्न वर्गों की अपेक्षा बहुत कम लाभ की स्थिति से रहते है इन्हें असुरक्षित समूह की संज्ञा दी जाती है।

शोध प्रश्न (Research Questions)

1. भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय के प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारण कौन–कौन से हैं?

2. सामाजिक अन्याय का विभिन्न वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएँ, दिव्यांगजन एवं अल्पसंख्यक समुदाय) के जीवन की गुणवत्ता एवं अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

शोध का सैद्धांतिक आधार

समाजिक न्याय एक बहुआयामी संकल्पना है। इसका संबंध समाज में संसाधनों, अवसरों, अधिकारों एवं गरिमा के न्यायपूर्ण समान वितरण से है। वंचना एवं भेदभावमूलक स्थितियां एक समतामूलक समाज के निर्माण में अवरोधक है। सामाजिक न्याय के व्यापक अनुसंधान के लिए समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक अधिकार अवसरों की समता, पुनर्वितरण इत्यादि निम्न सिद्धांतों का समेकित अध्ययन आव''यक है।

(1) जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत[2]

(2) अमर्त्य सेन का क्षमता दृश्टिकोण[3]

(3) महात्मा गांधी का सर्वोदयी दृश्टिकोण

(4) अम्बेडकर का सामाजिक लोकतंत्र दृश्टिकोण[4]

(5) नैन्सी फ्रेजर का पुनर्वितरण एवं मान्यता सिद्धांत[5]

(6) पियरे बोरदियू का सामाजिक पूंजी सिद्धांत[6]

(7) मार्था सी. नुसबाय का मानवीय क्षमता सिद्धांत[7]

समाजिक अन्याय के उपर्युक्त दृश्टिकोण परस्पर पूरक है सामाजिक अन्याय के आर्थिक, सामाजिक, भौक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारकों का बहुआयामी वि''लेशण करने में सहायक सिद्ध होते है। सामाजिक न्याय के उक्त समस्त विम''ों की सैद्धांन्तिक रूपरेखा अनुसंधान को गहन व्यापक एवं समाज के अंतिम व्यक्ति के पक्ष में नीति, निर्माण कार्यान्वयन एवं निर्णयन की दृश्टि से प्रासांगिक बनाते है।

भारतीय समाज में वंचित एवं हा''िाए पर उपस्थित समूह : सामाजिक अन्याय की स्थिति एवं चुनौतियों का वि''लेशण[8]

अनुसूचित जाति : चुनौतियां – अनुसूचित जाति भाब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने किया और भारतोय भाासन अधिनियम 1935 में इस भाब्द को सम्मिलित किया गया। इससे पूर्व इस वर्ग को अस्पृ''य, बाहय अथवा दबे कुचले वर्ग कहा जाता था। गांधी जी ने इनके लिए हरिजन भाब्द का इस्तेमाल किया, जिसका आ''ाय 'ई''वर के लोग'[9] ये समूह पीढ़ी दर पीढ़ी मूलभूत संसाधनों से वंचित रहे है।

चुनौतियां

- आर्थिक रूप से दूसरे वर्गों पर निर्भरता
- राजनीतिक रूप से भाक्तिहीन
- सांस्कृतिक रूप से उच्च वर्गों (स्वर्ण जातियों) के अधीन रहने को मजबूर
- इस वर्ग के 90 प्रति''ात से ज्यादा लोग ग्राम्य परिवे''ा में रहते है।
- इस वर्ग की महिलाएं जाति, वर्ग एवं लिंग तिहरे विभेद का f''ाकार बनती है जो इन्हें शोशण के दुश्चक्र में फंसा देता है।

- सामाजिक न्याय हेतु विभिन्न सरकारी नियमित प्रयासों के बावजूद विभिन्न प्र”ाासनिक ढांचों के द्वारा छुआछूत एवं भेदभाव को ओर भी आसान बना दिया है भ्ाासकीय विद्यालयों, मंदिरों, रा”ान की दुकानों, जल स्त्रोतों, सार्वजनिक चिकित्सालयों इत्यादि में इनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है। कई स्थानों पर दलित दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है।

ि”ाक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) 2025–26 विद्यालयी ि”ाक्षा में छात्रों के नामांकन से स्पश्ट होता है कि अनुसूचित जाति 17.7 प्रति”ात , अनुसूचित जनजाति 10 प्रति”ात, अन्य पिछड़ा वर्ग 44.9 प्रति”ात, एवं सामान्य 27 प्रति”ात विद्यार्थी अध्ययनरत है। यह द”ार्ाता है कि इन वंचित वर्गों के बच्चों की बड़ी संख्या है जिनके लिए समान अवसर सृजित कर पाना सामाजिक न्याय की मूल आव”यकता है।[10] तमाम संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के बावजूद इनके साथ अन्याय एवं शोशण निरंतर जारी रहा है इन्हें आज भी अपमान के घूंट नित्यप्रति जीवन के क्रियाकलापों के दौरान पीने पड़ते है।

अनुसूचित जन जाति : चुनौतियां – भारत में अनुसूचित जनजातियां जिन्हें आदिवासी (मूल निवासी) की संज्ञा दी जाती है। ये आदिवासी भारत से आर्यों के आगमन से पूर्व लगभग 1500 ई.पूं से रहते है। पहले आर्यों फिर मुगलों और अंग्रेजों के आने से ये जनजातियां सामाजिक व भौगोलिक रूप से अलग–थलग हो गई।

भारतीय संविधान के अनु. 366(25) में अनुसूचित जनजातियों को इस प्रकार परिभाशित किया गया है। 'ऐसी जनजातियां या जनजातोय समुदाय या उनके भाग अथवा समुदाय है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनु. 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां घोशित किया गया है।' हमारे देश मं 461 अनुसूचित जनजातियां है जिनमें से 75 को अति पिछड़े आदिम जनजातियां के रूप में पहचान दी गई है।

चुनौतियां

- वनोन्मूलन के कारण इनके अस्तित्व पर प्र”नचिह्न लगा दिया गया है।
- सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण को भी नजरअंदाज किया जा रहा है।

महिलाएं : चुनौतियां – महिलाएं भारतीय समाज का गैर बराबरी वाला आधा हिस्सा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 1000 पुरूशों पर 940 महिलाएं है। पितृसत्तात्मक समाज, सांस्कृतिक चलन, सामाजिक एवं धार्मिक निशेधों, रूढ़ियों, अंधिविश्वासों तथा असामाजिक प्रथाओं के कारण महिलाएं सदैव असुरक्षित समूह का हिस्सा रही है। अनुसूचित जाति, अनसूचित.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं दोहरे भेदभाव का ि”ाकार बनती है। एक तो महिला होने के नाते तथा दूसरा पिछड़े व वंचित समुदाय से सबंधित होने के कारण। कि”ाोर बच्चियां अत्यंत असुरक्षित समूह की श्रेणी में आती है। क्योंकि ये दुर्व्यवहार, बलात्कार, बाल विवाह जैसी चुनौतियों का सामना करती है। तेजाबो हमला, दहेज हत्या, संतान न होने के कारण अपमान महिलाओं को सहन करने पड़ते है।

बाल : चुनौतियां– राजस्थान पत्रिका 01.08.2026 के अनुसार भारत की कुल अनुमानित आबादी 151.3 करोड़ में से 17 वर्श से कम आयु के लगभग बच्चों की संख्या 41.7 करोड़ (27.6 प्रति”ात) (जेन अल्फा बीटा), 38 करोड़ (25.1 प्रति”ात) (जेन जी 18 से 32) वर्श की आयु के है। यह वि”व में किसी भो राश्ट्र की तुलना में सर्वाधिक है।[11] भारत में ि”ा”ाु मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्युदर चिंता का विशय है। बच्चों के भ्ाारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक विकास एवं देखरेख पर जोर देते हुए उनके जीवित बने रहने एवं सुरक्षित जीवन के अधिकारों को सुनिश्चित कर पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। बच्चों की देखरेख, गुणवत्तापरक ि”ाक्षण, पोशण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, स्वच्छ पेयजल, आवास जैसे अति आव”यक कारक है। जिन पर राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं को ध्यान दिए जाने की आव”यकता है। वि”व के 19 प्रति”ात बालक बालिकाएं भारत में निवास करते है। भारत में कुल बच्चों के 40 प्रति”ात का बचपन असुरक्षित है।

निः"ाक्त लोग – चुनौतियां – भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या कुल भारतीय जनसंख्या का 2.21 प्रति"ात है। 1,21,08,54977 में 121.09 करोड़ दिव्यांग है एवं प्रति लाख निः"ाक्तता की दर 2130 व्यक्ति है। संयुक्त राश्ट्र संघ के एक आकलन के मुताबिक दुनिया में 1.3 बिलियन (130 करोड़) व्यक्ति निः"ाक्तता से ग्रसित है। यह वैश्विक जनसंख्या का लगभग 16 प्रति"ात है अर्थात् प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति दिव्यांग है।[12] विभिन्न दे"ाों के आपसी युद्ध, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की निम्नतर द"ााओं एवं निः"ाक्तता के बारे में ज्ञानाभाव के कारण इनकी संख्याएं दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है।[13]

चुनौतियां

- सार्वजनिक परिवहन के साधनों तक पहुंच में अत्यधिक समस्याएं
- इनके प्रति आमजन में सहानुभूति की कमी।
- इनके प्रति कार्यस्थल, घर, सार्वजनिक जगहों पर दुर्व्यवहार किया जाता है।
- सार्वजनिक स्थलों पर वि"ोश सहायता/परामर्श केन्द्र के अभाव से इनके प्रति भेदभाव ओर भी गंभीर हो जाता है।
- हमारे राश्ट्र में 120 लाख लोग दिव्यांग है इनमें से मात्र एक प्रति"ात बालकों की पहुंच स्कूल तक है।
- प्रमस्तिश्क एवं पक्षाघात से पीड़ित बालकों के पोशण की स्थिति तो ओर भी गंभीर है।

अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकः चुनौतियां– अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से तात्पर्य है जो बिना वैधानिक पंजीयन के नियोजित है एवं अवैधानिक पंजीयन वाले उद्योगों में संलग्न है। अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक, गैर वैधानिक कार्यों में संलग्न श्रमिक है। श्रमिकों की जनसंख्या भारत में 450 मिलियन है जिनमें से 430 मिलियन से अधिक असंगठित कामगार है। जो विशम परिस्थितियों से जूझते हुए जटिलतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे है। 48.5 प्रति"ात महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्र से है। ये सर्वाधिक उत्पीड़न एवं विभेद की भिाकार है।

चुनौतियां

- खराब काम करने की द"ााएं
- न्यूनतम आय
- सकु"ाल श्रम
- तकनीक का न्यूनतम प्रयोग
- बाजार का न्यून ज्ञान
- िाक्षण प्रि"ाक्षण तक कम पहुंच

अल्पसंख्यक समुदाय : पहचान एवं चुनौतियां : – भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी लोग अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते है। जो समाज में जनसंख्या के आधार पर कम संख्या में आते है। इनकी पहचान धर्म, भाशा, जाति अथवा संस्कृति के आधार पर की जाती है। इन अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत है। दे"ा का सबसे अधिक लगभग 14 प्रति"ात जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है शेश अल्पसंख्यक वर्गों की जनसंख्या लगभग 6 प्रति"ात है।

भारत जैसे बहुलवादी समाज में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ सामाजिक अन्याय एक गंभीर मुद्दा है। इन्हें ि"ाक्षा, रोजगार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जाता है। अल्पसंख्यक ि"ाक्षा में सुधार के नाम से उतराखण्ड संवैधानिक मदरसा ि"ाक्षा बोर्ड (2016) को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। सरकार इस ि"ाक्षा को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है जबकि अल्पसंख्यक संस्थाओं का मानना है कि इतना बड़ा फैसला लिए बिना भी उन मानदण्डों को इतनी अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा अरबी, फारसी मान्यता नियम 2019 भी खत्म कर दिए गए। इन दोनों के स्थान पर उतराखण्ड अल्पसंख्यक ि"ाक्षा अधिनियम (UMEA) 2025 और उतराखण्ड अल्पसंख्यक भौक्षिक संस्थाएं मान्यता अधिनियम 2026 ने ले ली है यद्यपि

इस्लामिक सामाजिक, सांस्कृतिक विम”ा सबसे कम मुख्यधारा के अनुरूप चलने वाले माने जाते थे परन्तु अब यह अल्पसंख्यक समुदाय इसाई, सिक्ख, जैन और पारसी संस्थाओं के लिए भी पत्थर की लकीर साबित होंगे। आलोचक इसे पहचान आधारित अभियान कहते है।[14]

चुनौतियां

- धर्म के आधार पर भेदभाव
- आर्थिक असमानता के आधार भेद
- ि”ाक्षा के आधार पर भेदभाव
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृश्टि से
- सामाजिक उत्पीड़न
- सांस्कृतिक पहचान का संकट
- स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव

सामाजिक अन्याय : संरचनात्मक एवं संस्थिागत कारक –

ऐतिहासिक कारण– सामाजिक अन्याय के ऐतिहासिक कारणों ने अपनी गहरी जड़े जमा रखी है जिनका प्रभाव आज भी समाज में परिलक्षित होता है।[15]

1. जाति व्यवस्था– हमारे दे”ा में सामाजिक अन्याय का प्रमुख आधार जातीय व्यवस्था है जो हजारों साल पुरातन है। जाति व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था रही है।

(अ) वर्णाश्रम में असमानता

(ब) हिन्दू समाज व्यवस्था का अन्यायपूर्ण विधान

(स) मूलभूत विशयों से पराधीनता

(द) अस्पृश्यता

2. सामंतवादी व्यवस्था– इस प्रणाली में जमींदार और सामंतों का वर्चस्व होता था जिसने आर्थिक असामनता को प्रोत्साहित किया। किसान मजदूर वर्ग का शोशण किया जाता था उन्हें संसाधनों से वंचित रखा जाता था। छोटे व मझोले भूस्वामी किसान भानैः भानै भाोशण के कारण भूमिहीन मजदूर वर्ग में परिवर्तित हो जाते थे। जमींदारों का ऋण उतारते–उतारते वे अमानवीय जीवन भोगते है, ऐसा सर मल्कॉम डार्लिंग के अनुसार - Indian farmer borns in debt,lives in debt and dies in debt and bequeaths debt. (Darling ML (1925)[16]

3. औपनवेशिक भाासन– ब्रिटि”ा भाासन के द्वारा हमारे राश्ट्र का आर्थिक और सामाजिक न्याय व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया। आर्थिक संसाधनों का भाोशण किया। स्थानीय ि”ाल्पकला एवं संस्कृति को नश्ट करने का प्रयास किया। भारतीयों को गरीबी ओर अि”ाक्षा के कुचक्र में फंसाया गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटि”ा फूट डालो राज करो की नीति ने सामाजिक वैशम्यों को ओर गहरा किया।

4. लैंगिक असमानता – भारत में भाताब्दियों से लैंगिक आधार पर असमान व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है। महिलाओं को पुरूशों की तुलना में न्यून अधिकार ही दिए जाते थे उन्हें शिक्षा, आर्थिक संसाधन एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। यह अन्यायपूर्ण कुव्यवस्था आज में भी विभिन्न स्वरूपों में विद्यमान है।

5. धार्मिक उत्पीड़न – धार्मिक उत्पीड़न सामाजिक अन्याय का महत्वपूर्ण रूप रहा है। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों की आस्था, धार्मिक पहचान, उपासना की स्वतंत्रता को सत्ता, सामाजिक प्रभुत्व अथवा संस्थागत भेदभाव में सीमित कर दिया गया। इससे असमानता, भय एवं संघर्श की प्रवृति एवं सामाजिक बहिष्करण को प्रोत्साहन मिलने से सामाजिक समरसता प्रभावित होती है।

6. सामाजिक एवं सांस्कृति अंधविश्वास– रूढ़िवादी मानसिकता ने समाज के समानता एवं न्याय को गहरा आघात पहुंचाया जैसे दहेज–प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह न होना, अ"ि‍क्षा जैसी कुरीतियों के द्वारा विशेशकर उपेक्षित एवं वंचित वर्ग को मुख्यधारा से विलग किया।

आर्थिक कारण– सामाजिक अन्याय के प्रमुख कारकों में आर्थिक कारण–आर्थिक असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण इत्यादि है।

1. आर्थिक असमानता–भारत जैसे विकासशील देशों मे आर्थिक संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं होता है। परिमाणतः कुछ लोग अत्यधिक संसाधनों का संग्रह कर लेते है। शेश लोग संसाधन विहीन रहकर बमुश्किल जीवन निर्वाह कर पाते है। इन्हीं कारणों के निर्धन वर्ग अ"ि‍क्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मूलभूत आव"यकताओं से वंचित रह जाता है। भारत में मात्र एक प्रति"ात लोगों के पास दे"ा के कुल आर्थिक संसाधनों का 40 प्रति"ात से भी अधिक भाग है और नीचे के आधी जनसंख्या के हिस्से केवल 3 प्रति"ात संसाधन रहते है।

2. निर्धनता – भारत में निर्धनता की दर भाहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। इसी कारण वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने तथा उचित स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते है। निर्धनता की वजह से ये दो जून की रोटी का जुगाड़ करने में लगे रहते है। संतुलित भोजन उनका सपना ही रह जाता है। इसलिए वे बीमारियों से ग्रसित होकर असमय काल का ग्रास बन जाते है।

3. बेरोजगारी– काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों को काम न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। रोजगार के अवसरों से वंचित रहने के कारण उनका आर्थिक स्तर कमजोर रह जाता है। उन्हें गरीबी एवं असमान व्यवहार का कोप भाजन बनना पड़ता है।

4. वै"वीकरण– इस नीति ने आर्थिक असमानता में वृद्धि की है। बहुराश्ट्रीय कम्पनियों के प्रभुत्व के कारण श्रमिकों का अत्यधिक भाोशण होता है। इसे छोटे एवं मझाले किसान, खेती हर मजदूर प्रभावित होते है, जबकि बड़े बड़े उद्योगपति स्थायी लाभ की स्थिति में रहते है। परिणामतः वर्ग से संघर्श की स्थिति पैदा हो जाती है। पिछले द"ाक में किसानों की आत्महत्या की दर में काफी वृद्धि दर्ज की गई है।

5. सार्वजनिक नीतियाँ– सरकार का नीति निर्माण कार्य जब किसी एक वर्ग विशेश को लाभान्वित करने के पक्ष में झुका रहता है तो इससे अन्य वर्गों के साथ सामाजिक अन्याय होता ह। भासकीय नीतियां जब तक निर्धनतम वर्ग के पक्ष को लाभान्वित करने की नहीं होगी तब तक सामाजिक अन्याय समाप्त नहीं हो सकेगा।

परिणामतः आर्थिक कारणों से समाज से असमान व्यवहार, हिसां–प्रति हिंसा, असंतोश, वर्ग संघर्श में वृद्धि होती है। इसमें सामाजिक असंतोश, आर्थिक पिछड़ापन मानवाधिकारों का हनन, ऐक्य की भावना का अभाव इत्यादि कारक सामाजिक अन्याय में इजाफा करते है।

भौक्षिक कारण : सामाजिक प्रगति का आधारस्तंभ भौक्षिक स्तर का उच्च होना है यह व्यक्ति के आचरण को उच्च नैतिकता के मूल्यों से परिपूर्ण कर देता है, जिससे सामाजिक न्याय एवं समानता का वातावरण सृजित होता है। जब भौक्षिक पिछड़ापन हो तो ि"ाक्षा की गुणवत्ता तक सार्वजनिक पहुंच सुनि"चत नहीं हो पाती है। इसका सर्वाधिक खामियाजा समाज के असुरक्षित, उपेक्षित एवं वंचित वर्ग को उठाना पड़ता है। यूडाईस प्लस 2025–26 म उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की संख्या में 1 प्रति"ात की वृद्धि हुई है।[17]

1. आर्थिक असमानता– संसाधनों के असमान वितरण से निर्धनता की दर में वृद्धि होती है। उनके बच्चों के लिए ि"ाक्षा अर्जन कर पाना दूर की कौड़ी साबित होती है। उनक पास न तो स्कूल की फीस, वर्दी और पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त धनरा"ि होती है। ि"ाक्षा के अभाव में उनके भविश्य का निर्माण अधरझूल में लटक जाता है। भारत में निर्धनता के कारण बच्चों की भााला छोड़ने की दर अत्यधिक है।

2. ि"ाक्षा का असमान वितरण– भारत में ग्राम्य एवं नगरीय क्षेत्र में ि"ाक्षा की गुणवता एवं पहुंच में बहुत बड़ा अंतर रहता है। सामाजिक अन्याय का यह एक प्रमुख कारक है। ग्रामीण आंचल में भाालाओं एवं

f"kक्षकों का अभाव f"kक्षा अर्जन में सबसे बड़ी बाधा है। यूडाईस प्लस 2025–26 में विद्यालय छोड़ने वाले बालकों का प्रतिं"ात 0.4 तथा बालिकाओं 0.1 प्रतिं"ात तथा कुल 0.3 की वृद्धि हुई है।[18]

3. लैंगिक आसमानता : भारत में अधिकां"ात f"kक्षा को पुरूश वर्ग की बपौति माना जाता था। बालिकाओं को f"kक्षा प्राप्त करने के लिए समुचित सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण f"kक्षा से वंचित रहना पड़ता है। रूढ़िवादी मानसिकता के चलते बच्चियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता है। जिससे महिला जगत का भविश्य अंधकारमय हो जाता है। यहां लड़कों की साक्षरता दर की अपेक्षा लड़कियों की साक्षरता दर काफी कम है।

4. f"kक्षा की गुणवता में कमी– उच्च गुणवतायुक्त f"kक्षा ही मानवीय रोजगार का कारण होती है। लेकिन भारत में f"kक्षा की गुणवता का उच्च न होना बेरोजगारी, निर्धनता का प्रमुख कारण है। विद्यार्थियों को उचित ज्ञान विज्ञान एवं कार्य कौ"ाल युक्त f"kक्षा से वंचित रखने के कारण उनके उज्ज्वल भविश्य के अवसर सीमित रह जाते है। यूडाईस प्लस 2025–26 में 24.1 विद्यार्थियों पर एक f"kक्षक है जो कम नामांकन दर के कारण हुआ इसी तरह 7.0 f"kक्षक प्रति विद्यालय तथा प्रति विद्यालय नामांकन 169 विद्यार्थी है। इसी तरह भाून्य नामांकन वाले 5663 विद्यालय है जिनमें 20667 f"kक्षक कार्यरत है।[19]

5. सरकारी नीति नियंताओं की उदासीनता– प्र"ाासनिक म"ाीनरी का असुरक्षित, उपेक्षित एवं वंचित वर्ग के प्रति उदासीनता के कारण ही सार्वजनिक नीतियों का निर्माण उनके पक्ष को मजबूत नहीं करता है। अच्छी अच्छी नीतियां भी वितीय अनियमितता एवं वितीय स्वायतता के चलते कारगर सिद्ध नहीं हो पाती हैं। f"kक्षा बजट का बहुत कम हिस्सा ही ग्राम्य आंचल के f"kक्षालयों को आवंटित होता है।

6. सामाजिक भेदभाव– सामाजिक वैशम्यों के कारण भी उच्च शिक्षित वर्ग, निम्न वर्ग को f"kक्षित नहीं कर पाता है। ऐसे भेदभाव, जाति, लिंग, धर्म एवं भाारीरिक अपंगता इत्यादि कई कारणों से होते है।

7. राजनीतिक उपेक्षा– तमाम भाासकीय एवं गैर भाासकीय प्रयासों के बावजूद कमजोर एवं वंचित वर्ग को f"kक्षा के अभाव के चलते राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाामिल नहीं किया जाता है।

8. सांस्कृतिक पिछड़ापन– भारत विभिन्न संस्कृति से मिला जुला राश्ट्र है। प्रत्येक वर्ग को अपनी–अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने का अधिकार है, लेकिन f"kक्षा के अभाव के चलते वे अपने अपने अधिकारों का संरक्षण करने में असफल रह जाते है।

राजनीतिक कारण– समाज के कुछ समूहों के साथ राजनीतिक म"ाीनरी के द्वारा भेदभाव व शोशण एवं असमान व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्न है–

1. सता का विकेन्द्रीकरण– भारत में जाति आधारित राजनीति प्रक्रिया ने सत्ता का केन्द्रीयकरण किया है। परिमाणतः कुछ लोगों के हिस्से राजनीतिक संसाधन अधिक आये एवं असुरक्षित, वंचित, उपेक्षित तबके इससे वंचित रहें।

2. नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन पक्षपातपूर्ण–प्र"ाासनिक म"ाीनरी के द्वारा निर्धन वर्ग के प्रति हितैशी नीतियों का क्रियान्वयन प्रतिबद्धता के साथ नहीं किया जाता और न ही राजनीतिक सत्ता सर्वसमावेशी नीतियों का निर्माण करती है। उदाहरणतः ग्राम्य आंचल में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं f"kक्षा में वित्तोय संसाधनों का असमान वितरण जैसे पक्षपतापूर्ण व्यवहार सामाजिक अन्याय का प्रमुख कारण है।

3. जाति एवं धर्म आधारित राजनीति– भारत में भाताब्दियों से जाति एवं धर्म आधारित अन्याय प्रचलन में रहा है। राजनीतिक दल भी इसी आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते है। जिससे समाज में असमानता एवं भेदभाव की राजनीति को आश्रय मिलता है।

4. उदारीकरण एंव भूमंडलीकरण नीतियों का प्रभाव – इससे अमीर गरीब के बीच की खाई को बढ़ावा मिलता है। बड़े बड़े कार्पोरेट सैक्टर्स को लाभ पहुंचाया जाकर वंचित तबके को नुकसान पहुंचाया जाता है। जिससे भूमिहीन मजदूर एवं छोटे मझौले किसान पीड़ित होकर आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे है।

5. शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव– f”ाक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वंचित तबके की पह्ंच को सुनिf”चत नहीं किया गया है। उन्हें गुणवतापूर्ण कौ”ाल के निर्माण की f”ाक्षा से दूर रखा जाता है। भाासकीय नीति निर्माण में वंचित वर्ग को सहभागी नहीं बनाया जाता है।

6. सूचना का वितरण समुचित नहीं– ग्रामीण एवं दूर दराज के आंचल में भाासकीय नीतियों की पहुंच न्यून मात्रा में रहती है। ग्रामीण जनमानस इस कारण सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते है। मीडिया स”ाक्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है वंचित वर्ग उपेक्षा का f”ाकार हो जाता है।

7. न्याय प्रणाली एवं भेदभावपूर्ण विधि – इस कारण समाज में अन्याय प्रोत्साहित होता है। असुरक्षित वंचित उपेक्षित वर्ग के लोगों को न्याय प्रणाली की लेट लतीफी , लाल फीता”ाही के कारण समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। जबकि सम्पन्न वर्ग कानून को अपने हाथों में रखते है।

8. भ्रश्टाचार– भ्रश्टाचार के कारण भाासकीय संसाधनों का आवंटन सम्पन्न वर्ग के पक्ष में रहता है। निर्धन वर्ग के हिस्से का लाभ भी उच्च वर्ग ग्रहण कर लेता है। भारत में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर स्वर्ण लोग नौकरी, छात्रवृति, आरक्षण आदि लाभ ले लेते है।

मनोसामाजिक कारण – उपरोक्त विवेचन विविध कारणों के साथ–साथ भाासन एवं प्र”ाासन की नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन एवं निर्णयन के प्रतिबद्धताओं के अभाव के कारण बालमन तनाव परीक्षा का दबाव व अवसाद की समस्याओं में घिरकर जीवन की इहलीला को समाप्त करने पर उतारू हो जाता है।भारत की कोचिंग राजधानी कोटा (राजस्थान) के विद्यार्थियों के दबाव व तनाव प्रबंधन न होने के कारण आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 2019–2023 तक 491, 2024 में 17 व 2025 में 14 विद्यार्थियों के द्वारा आत्महत्या की गई। नीट (यूजी) 2026 में प्र”न पत्र लीक एवं पुनर्परीक्षा की परिथतियों के बाद कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। यद्यपि f”ाक्षा मंत्रालय, एनटीए एवं एनसीआरबी द्वारा अधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया।[20]

समाधानः सामाजिक समावे”ान एवं समता हेतु नीतिगत अनु”ांशाएं तथा रणनीतिक ढांचा

भाास्त्रीय वि”ोशाधिकारों, निर्योग्यताओं एवं विभिन्न विशमताओं एवं सैंकडों वर्शों की पराधीनता (भारतीय संदर्भ) के कारण सामाजिक न्याय एक असंभव सा लक्ष्य प्रतीत होता है, लेकिन भाासकीय एवं गैर”ाासकीय समन्वित प्रयासों से इस दि”ाा में काफी कुछ किया गया है फिर भी लक्ष्य अभी कोसों दूर है। इस दि”ाा में निम्न सुझावों का क्रियान्वयन एवं भाासन के साथ अभिजन वर्ग की समग्र प्रतिबद्धता आव”यक है।

1. समावेf”ात एवं गुणवत्तापरक f”ाक्षा की सार्वभौमिकता

2. बजट का सामाजिक न्याय पर आधारित होना

3. रोजगार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल

4. जाति आधारित भेदभावों पर कठोर कार्यवाही

5. लिंग आधारित वैशम्यों की समाप्ति

6. सामाजिक न्याय तक पहुंच सुनिf”चत होना

7. पोशण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

8. डिजोटल संसाधन एवं संस्थागत विकास

9. संवैधानिक मूल्यों का प्रचार प्रसार

10. सामाजिक संवाद कार्यक्रम

11. सु”ाासन एवं पारदf”ाता

12. सहस्राब्दी (MDG's) एवं सतत विकास लक्ष्यों (SDG's)के साथ सामंजस्यता की राश्ट्रीय स्तर पर सुनि"चतता[21]

इसके लिए राश्ट्रीय संसाधनों के कु"ाल संचालन हेतु समुचित अधिनियमितीकरण के साथ–साथ प्रभावी क्रियान्वयन आव"यक है।

सामाजिक अन्याय की पहचान एवं उसके कारणों के अनु"ीलन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अन्याय भारतीय समाज की एक बहुआयामी एवं संरचनात्मक विकृति है, इसकी नींव ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक कारकों में निहित हैं। जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक विषमता, शिक्षा में असमान अवसर के वितरण तथा नीतियों के असमान क्रियान्वयन के चलते समाज के अनेक वर्ग आज भी समान अधिकारों, संसाधनों एवं अवसरों से वंचित, उपेक्षित, असुरक्षित समुदाय एवं हाशिये पर उपस्थित हैं, जो मूलभूत जीवनयापन के संसाधनों तक पहुंच सुनि"चत करने एवं मानवीय क्रियाकलापों में पूर्णसहभागिता हेतु संघर्शरत रहते है। यह अध्ययन इंगित करता है कि सामाजिक न्याय की स्थापना केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसके लिए समावेशन, गुणवत्तापरक शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक चेतना तथा उत्तरदायी प्रशासन की प्रतिबद्धता की आव"यकता को रेखांकित करता है। अतः इस भाोध के निश्कर्श के रूप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अन्याय की समस्या का समाधान केवल विधायी प्रावधानों के निर्माण मात्र से हो पाना संभव नहीं है, अपितु इस हेतु भाासन–प्र"ाासन, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों एवं समुदायों के समन्वित प्रयासों से ही न्यायपूर्ण समतामूलक, मानवीय गरिमा एवं प्रतिश्ठा और संपोशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। अतः सामाजिक न्याय को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सहस्राब्दी एवं सतत विकास लक्ष्यों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की सुदृढ़ता के लिए समग्र प्रतिबद्धता आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. अंबेडकर, भीमराव जी (1936/2014) जाति का विनाश,नई दिल्लीः क्रिटिकल क्वेस्ट
2. रॉल्स जॉन (1971) थ्योरी ऑफ जस्टिस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस मेसाचुसेट्स
3. सेन अमर्त्य (2006) न्याय की अवधारणा, लंदन, यूनाइटेड किंगडमः पेंगुइन बुक्स
4. पूर्वोक्त –1
5. फ्रेजर नैंसी (2008) न्याय के आयामः वैश्वीकरण के दौर में, राजनीतिक परिक्षेत्र की पुनर्कल्पना, कैंब्रिज, यूनाइटेड किंगडम पॉलिटी प्रैस
6. बोरदियू, पियरे (1986) पूंजी के स्वरूप न्यूयॉर्क, यूएसए, ग्रीनवुड प्रेस
7. मार्था सी.नुसबाम (2011) क्षमताओं का निर्माणः मानव विकास दृष्टिकोण, कैंब्रिज, मेसाचुसेट्स, USA : हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
8. दृष्टि 'द विजन' (एन.डी.) सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण, विशेषांकःनई दिल्ली
9. गांधी, मोहनदास (1932) हरिजन, हरिजन सेवक संघ
10. शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) 2025–26.
11. राजस्थान पत्रिका शहर श्रीगंगानगर संस्करण, 1 अगस्त 2026
12. विश्व स्वास्थ्य संगठन 2023 मार्च 7 (निःशक्तता एवं स्वास्थ्य)
13. unisafe-org (depwd.hd)

14. इंडिया टुडे, 29 जुलाई 2026

15. अंबेडकर,बी.आर (1936) जाति का विनाश, स्वप्रकाशित मूल संस्करण

16. डार्लिंग,एम एल (1925) द पंजाब पिजेंट इन प्रोस्पेरिटी एंड डेब्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

17. पूर्वोक्त 10

18. पूर्वोक्त 10

19. पूर्वोक्त 10

20. सीरवी, ए.शर्मा, आई. (2025) भारत में कोचिंग केंद्रों में मनोचिकित्सकीय हस्ताक्षेप एवं आत्महत्या की रोकःकोटा अनुभव, इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्रिक 67(12)1173–1179

21. संयुक्त राष्ट्र (2015) हमारी दुनिया का रूपांतरणः सतत् विकास के लिए 2030 कार्य योजना, संयुक्त राष्ट्र